सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-10.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री प्रहलाद यादव, स०वि०स० श्री विजय कुमार, स०वि०स० श्रीमती अनिता देवी, स०वि०स० श्री रामवृक्ष सदा, स०वि०स०	"लखीसराय जिला में माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक-30.01.2022 को समाचार पत्र के माध्यम से कहा गया कि टोपो लैंड एवं गैरमजरूआ मालिक जमीन बिहार सरकार की है तो मुंगेर-खगड़िया पुल के सम्पर्क पथ में टोपो लैंड मालिक को मुआवजा 2021-22 में किस आधार पर दिया गया जबकि कई वर्षों से टोपो लैंड एवं गैरमजरूआ मालिक जमीन का खरीद-बिक्री, जोत-अवाद जमीन मालिक कर रहा है, जिसे सरकार ने कुछ वर्षो से रोक लगा दी है । रोक से लाखों लोग प्रभावित हैं । अत: टोपो लैंड एवं गैरमजरूआ मालिक जमीन का खरीद-बिक्री एवं मालिकाना हक पूर्ववत रखने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	राजस्व एवं भूमि सुधार

2.	श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स०वि०स० श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स०वि०स० श्रीमती रेखा देवी, स०वि०स० श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स० श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स०वि०स०	''राज्य के सभी निबंधित बालू घाट के संवेदक एवं पुलिस की मिलीभगत से बालू उठाव में सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है तथा नदी किनारे गड्ढे भी खोद दिये जाते हैं । लखीसराय, बेगूसराय, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल एवं गया इत्यादि जिलों में हमेशा बालू संवेदक एवं पुलिस की मिलीभगत का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जाता है । इसी क्रम में दिनांक-15.02.2022 को गया जिले के बेलागंज प्रखण्ड के मेन थाना (बेलागंज थाना) के आरतपुर गाँव में बालू घाट के सीमांकन में ही ग्रामीणों एवं बालू संवेदक सहयोगी तथा पुलिस प्रशासन से झड़प हुई । इसके बाद पुलिस द्वारा महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों को खुले आसमान में हाथ उल्टा बांध कर लाठी डंडे से पिटाई की गई तथा उनके निजता का भी हनन किया गया, इससे जनता के बीच भय एवं आक्रोश का माहौल है । अत: राज्य में बालू संवेदक एवं पुलिसिया जुर्म से राज्य के जनता में व्याप्त भय एवं आक्रोश की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	गृह / खान एवं भूतत्व

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-08/2022- 1166 / वि०स०, पटना, दिनांक- 09 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9.3.2022
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-08/2022- 1166 / वि०स०, पटना, दिनांक- 09 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9.3.2022
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-08/2022- 1166 / वि०स०, पटना, दिनांक- 09 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / गृह विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-08/2022- 1166 / वि०स०, पटना, दिनांक- 09 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

9.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

9/3/22